न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली(R.A.S.)

प्रकरेण संख्या –8 / 2024
GCMS No.–2024 / 10

1. छगनलाल पुत्र रामलाल जी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ राज०
2. शांतिबाई धर्मपत्नि स्व० शांतिलाल जी जाति डांगी आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ़ राज०
3. गोविन्द पुत्र शांतिलाल जी जाति डांगी आयु वयस्क पेशा काश्त, निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ़ राज०

वादीगण

बनाम

1. उदेराम पुत्र खेमा उर्फ खुमा जाति डांगी आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ राज०
2. बालुराम पुत्र खेमा उर्फ खुमा जाति डांगी आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ राज०
3. उंकारीबाई धर्मपत्नि स्व चतरुजी जाति डांगी आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ राज०
4. नारायणलाल पुत्र चतरुजी जाति डांगी आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ राज०
5. सोहनलाल पुत्र चतरुजी जाति डांगी आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ राज०
6. कमला पुत्री चतरुजी जाति डांगी आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्ताडगढ राज०

प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88;209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1– श्री ऋषभ कुमार सेठियो– अधिवक्ता वादिगण

:: निर्णय ::

दिनांक :– 09.12.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का बडौलीमाधोसिंह के आराजी नम्बर 75 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 253 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 415 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 427 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 466 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 466 / 519 रकबा 0.10 हैक्टेयर स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:23:47 IST
Reason: SelfAttested

2. खेमा उर्फ खुमा का देहान्त [illegible] की मृत्यु के बाद खेमा उर्फ खुमा के खातेदारी की वादग्रस्त [illegible] पुत्री उदेराम, रामलाल, चतरु व बालुराम के शामलाती खातेदारी में दर्ज ।जमाबंदी [illegible] 2058 से 2061 [illegible] पत्र के साथ पेश हैं उपरोक्त वर्णित आराजियात को विवादित आराजियात वाद [illegible] सम्बोधित की गई हैं।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

3. विवादित आराजियात का मौखिक विभाजन आपसी सहमति से हुआ, जिसका नामान्तरण करण संख्या 377 दिनांक 22/12/2001 को खौला गया, जिसमे आराजी नम्बर 415 तादादी 17 बिस्वा आराजी नं0 427 तादादी 17 बिस्वा का कोई उल्लेख व अंकन नही हुआ जबकि उपरोक्त वर्णित दोनो आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हस्ब मौखिक विभाजन विभाजित होकर कब्जे में आ गई थी। प्रतिवादी नं0 2 बालुराम ने अपना हिस्सा आराजी नं0 427 का 8 बिस्वा हिस्सा वादीगण को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12/03/2012 को विकीत कर कब्जा सौप दिया। वास्ते साक्षी नकल विक्रय पत्र वाद पत्र के साथ पेश हैं।

4. रामलाल पुत्र खेमा उर्फ खुमा की दोनों पुत्रीयां सुशीलाबाई एवं लक्ष्मीबाई एवं उनकी पत्नि मथरीबाई है। सुशीलाबाई, लक्ष्मीबाई, मथरीबाई को स्व० रामलाल से विरासत मे मिली समस्त आराजियात सम्पत्ति का हक परित्याग रामलाल के दोनो पुत्रो छगनलाल एवं शांतिलाल के पक्ष मे पंजीकृत विलेख दिनांक 25/09/2006 से कर दिया। विवादित आराजी नम्बर 415 तादादी 17 बिस्वा का वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसार आराजी नं0 215 तादादी 0.2100 हेक्टेयर है, तथा आराजी नं0 427 तादादी 17 बिस्वा का वर्तमान सेटलमेन्ट अनुसार आराजी नं0 524 तादादी 0.2100 हेक्टेयर है।

5. आराजी नं0 415 एवं 427 सन् 2010 की जमाबन्दी मे उदेराम, चतरु, बालुराम एवं वादीगण के शामलाती दर्ज हैं। सन् 2010 के बाद उपरोक्त नम्बरो का पुनः आपसी मौखिक विभाजन सहमति से हुआ जिसके अनुसार आराजी नं0 415 का 8 बिस्वा हिस्सा उदेराम के रहा तथा 9 बिस्वा हिस्सा वादीगण के रहा। उदेराम का हिस्सा उदेराम के खाते मे दर्ज हो गया, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 670/512 तादादी 0.1000 हेक्टेयर उदेराम के खातेदारी जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड है, जिसकी जमाबन्दी की नकल वाद पत्र के साथ पेश की हैं। वादीगण का 9 बिस्वा का हिस्सा चतरु के नाम पर गलती से दर्ज हो गया जिसका आराजी नं०512 मीन तादादी 0.1100 हेक्टेयर है, जो वादीगण के हिस्से व कब्जे मे हैं इसलिए आराजी नं0 512 मीन तादादी 0.1100 हेक्टेयर वादीगण प्रतिवादी नं० 3 ता 6 के बजाए अपने खातेदारी की घौषित कराने के अधिकारी हैं।

6. आराजी नम्बर 427 तादादी 17 बिस्वा चतरु एवं बालुराम के रही जिसका भी पुनः आपसी विभाजन सहमति से मौखिक हुआ, जिसके अनुसार 9 बिस्वा आराजी चतरु के रही तथा 8 बिसवा बालुराम के रही। बालुराम ने अपना 8 बिस्वा हिस्सा आराजी नं० 427 का वादीगण को उपरोक्त विवरण अनुसार पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 12/03/2012 से विकीत कर दिया। जिसके वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी नं0 524मीन तादादी 0.1000 हेक्टेयर है, यह खसरा नम्बर राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही से प्रतिवादीगण स्व० चतरु जी के वारिसानो प्रतिवादी नं0 3 से 6 के नाम पर दर्ज हो गया, जिसको वादीगण अपने खातेदारी की घौषित कराने के अधिकारी है जबकि आराजी नं० 427 का 9 बिस्वा हिस्सा हस्ब विभाजन जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 671/524 तादादी 0.1100 हेक्टेयर चतरु के वारिसानो प्रतिवादी नं0 3 से 6 के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं।

7. वादीगण ने चतरु के वारिसानो को आराजी नं0 512 मीन तादादी 0.1100 हेक्टेयर एवं आराजी नं0 524मीन ताद[illegible] हक हिस्से व कय की हुई होने से वादीगण अपने खातेदारी की घौ[illegible] के लिए प्रतिवादीगण चतरुजी के वारिसान को कई बार क[illegible] नही करवाने से वादीगण खातेदारी जमाबन्दी राज[illegible] वारिसान बजाए अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी है एवं इसी आश्य की घोषणा [illegible]राने के अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:23:47 IST
Reason: SelfAttested

8. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल एवं सूचना के अनुपरिथत रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा

कार्यवाही के आदेश दिये गये। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी प्रदर्शः1, प्रदर्शः2, प्रदर्शः3, प्रदर्शः7, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4, नामान्तरण नकल प्रदर्शः 6,प्रदर्शः 7,प्रदर्शः 8, असल हक त्याग प्रदर्श 9एप्रति पेश कीजिसमें ग्राम सांगरिया पटवार हल्का बडौलीमाधोसिंह के आराजी नम्बर 512 मीन रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 524 रकबा 0.100 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का बडौलीमाधोसिंह के आराजी नम्बर 512 मीन रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 524 रकबा 0.100 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:23:47 IST
Reason: SelfAttested